APP-A
Orim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2022/44

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

श्रवणसिंह पुत्र रिसालसिंह राजपूत बनाम इस्लामुद्दीन पुत्र सदीक मणियार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ. धारा 96 सी.पी.सी. नं. 29 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2022	यह प्रार्थना पत्र अ. धारा 96 सी.पी.सी अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी द्वारा पेश करने पर बाद जाँच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.04.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/4/22	पत्रावली पेश हुई [illegible] पक्षकारान उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश पर है पत्रावली [illegible] दिनांक 12/5/22 को पेश	
12/5/22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य अवकाश पर है पत्रावली [illegible] दिनांक 26/5/22 को पेश	
26/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते इन्तजार मिसल दिनांक 16/6/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
16/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
20/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/7/22 पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब आज राजकार्य अवकाश प्रभार पर हैं। पत्रावली का आदेश... दिनांक 28/7/22 को पेश। (हस्ताक्षर)
28/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। अप्रार्थी वकील ने 96 CPC का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी एक प्रति वकील को दी गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 5/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं
5/8/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22/8/22	पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जिस भूमि का उपरोक्त पट्टा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पूर्वजों के समय से ही कब्जा रहा है। जिस बाबत दिनांक 20/12/1985 को अपीलान्ट के पिता को रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष दिनांक 30/5/20 को सनद (पट्टा) बिना मौका जांच मिलि जारी कर दिया। उक्तानुसार प्रकरण में अपीलान्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पक्षकार होने के कारण पट्टा आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रार्थी अधीनस्थ के समक्ष पक्षकार नहीं था, लेकिन उसके [illegible] हित निहित होने के कारण [illegible] प्रस्तुत किये जाने की [illegible] निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में तहसीलदार के पट्टा जारी करने के विरुद्ध पंजीयन दस्तावेज को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में स्वयं का अतिक्रमी माना है। कानून अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by ChandanDubey
Date: 2024.02.26 11:31:57 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति को संरक्षण नहीं देता है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। अतः वह अदालत मातहत के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता है। रजिस्टर्ड दस्तावेज से किसी के प्रभावित होने पर ~~सक्षम~~ सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पड़ता है। सिविल न्यायलय के द्वारा पंजीकृत दस्तावेज निरस्त होने पर ही श्रीमान के न्यायलय में अपील प्रस्तुत हो सकती है। वादग्रस्त भूमि बाबत सिविल न्यायलय उदयपुरवाटी के समक्ष पहले से ही एक वाद संख्या 26/20 इस्ताफुद्दीन बनाम सदाबुद्दीन विचाराधीन है। अपीलान्ट उस वाद में पक्षकार बनकर अपना पक्ष रख सकता है। एक वाद वस्तु बाबत अलग-2 न्यायलय में प्रकरण नहीं चल सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

मैंने प्रार्थना पत्र दफा- 96 जा.दी तथा अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुनकर मनन किया। चूंकि प्रकरण में दर्ज विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलान्ट के पिता को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण मानकर नोटीस जारी किया गया। तथा उसी भूमि का सनद पट्टा जारी किया गया है। अतः विवादित भूमि में राजकीय होने पर सनद पट्टा जारी करने की जांच बाबत प्रकरण को सुना जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र दफा 96 [illegible] कर अपीलान्ट को अपील चलाने की अनुमति दी जाती है आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तामील जाब्ता सलग्न रहे।

[signature]

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:57 IST
Reason: SelfAttested